

**प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वतमान मूल्य (एन०पी०वी०) के भुगतान किये जाने सम्बन्धी
प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ०एन० 5 - 3 / 2007 (एफ०सी०. डिवीजन) दिनांक-05-02-2009 द्वारा 30 वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तान्तरण / गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन०पी०वी०) और बढ़ी दरों के अनुसार धनराशि को विन्ध्या टेलीलिंक्स लि० द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निर्धि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMP) वन विभाग उत्तर प्रदेश को ई-पोटल से उत्पन्न ई-चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा ।


PARVEZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR